मिसल नम्बर 98 / 2019
निर्णय दिनांक 27–09–2019

राजस्थान सरकार

# न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह (RTS)
मिसल नम्बर :– **98 / 2019**

**सरकार**

**बनाम**

शिम्भुराम पुत्र बीरबलराम जाति गूर्जर निवासी बांसियाल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

....................गैर सायल

**(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)**

**दिनांक :– 27–09–2019**

**–: निर्णय :–**

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल की ओर से उसके अधिवक्ता श्री रोहिताश्व कुमार गूर्जर हाजिर अदालत आये। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का त्यौन्दा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम **अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 1.31 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर गैर सायल शिम्भुराम पुत्र बीरबलराम जाति गूर्जर निवासी बांसियाल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने चार दिवारी बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है जिसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने जरिये अधिवक्ता श्री रोहिताश्व कुमार गूर्जर के जबाब नोटिस इस आशय का पेश किया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी ने कोई नाजायज कब्जा नहीं कर रखा है बल्कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर उसके पूर्वजो के समय से यानि 50 वर्षो से पुराना कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को काफी मेहनत व खर्चे से काबिले रहने योग्य बनाया है तथा प्रार्थी का परिवार काफी बड़ा है। प्रार्थी के पास जमीन की कमी है। प्रार्थी के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है तथा प्रार्थी के पास पशुधन भी है।

अतः जबाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध चल रही धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही को ड्राप की जाकर प्रार्थी के हक में नियमन की सिफारिश किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज.) ★

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुंझुनूं (राज.)

Scanned by CamScanner

मिसल नम्बर 98 / 2019
निर्णय दिनांक 27-09-2019

बहस अधिवक्ता गैर सायल सुनी गई। अधिवक्ता गैर सायल ने जबाव नोटिस के बिन्दुओं को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल ने कोई नाजायज कब्जा नहीं कर रखा है बल्कि गैर सायल का उक्त भूमि पर उसके पूर्वजो के समय से यानि 50 वर्षो से पुराना कब्जा है। गैर सायल ने उक्त भूमि को काफी मेहनत व खर्चे से काबिल काश्त बनाया है। बहस के अन्त में अधिवक्ता गैर सायल ने प्रश्नगत भूमि की गैर सायल के पक्ष में नियमन की सिफारिश किये जाने का निवेदन किया।

गैर सायल ने प्रश्नगत राजकीय भूमि पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण की बाबत पुराना कब्जा होने की ताईद में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, जबाब नोटिस धारा 91 व पटवारी हल्का **त्यौन्दा** की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल शिम्भुराम पुत्र बीरबलराम जाति गूर्जर निवासी बांसियाल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने राजस्व ग्राम **अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 1.31 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर चार दिवारी बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का त्यौन्दा की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

## –: आदेश :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का त्यौन्दा के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम **अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 1.31 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 01 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का त्यौन्दा से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की राजस्व ग्राम **अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 1.31 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-09-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
**तहसीलदार खेतड़ी**
**जिला झुन्झुनू (राज.)**

Scanned by CamScanner